न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म.प्र.

निगरानी 726-III-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

71
10.3.15

श्री... अशोक सिंह द्वारा आज दिनांक 10-3-15 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 4797
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्राप्त
[illegible] ऑफ बोर्ड
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1- सन्जीव कुमार चौरसिया तनय श्री मोतीलाल चौरसिया, निवासी ग्राम सतरी तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म0प्र0)-

--निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1- शिवकुमार तिवारी तनय स्व0 श्री कौशलेश प्रसाद तिवारी,

2- रमेश कुमार तिवारी तनय श्री कौशलेश प्रसाद तिवारी,

3- उमेश कुमार तिवारी तनय श्री कौशलेश प्रसाद तिवारी,

----तीनों निवासी धाण्डेन टोला रीवा जिला रीवा म0प्र0-

4- श्रीमती सरला मिश्रा के वारिसान :-

(अ) रुकी मिश्रा पुत्री श्रीमती सरला मिश्रा पिता डॉ0 वाय.एन. मिश्रा,

(ब) अंजू मिश्रा पुत्री श्रीमती सरला मिश्रा, पिता डॉ0 वाय.एन. मिश्रा,

(स) पंकज मिश्रा पुत्र सरला मिश्रा, पिता डॉ0 वाय.एन. मिश्रा,

(द) श्रीमती मंजू मिश्रा पुत्री डॉ0 वाय.एन. मिश्रा,

(इ) श्रीमती रीतू मिश्रा पुत्री डॉ0 वाय.एन. मिश्रा,

(फ) रेनू मिश्रा पुत्री श्रीमती सरला मिश्रा, पिता डॉ0 वाय.एन. मिश्रा,

सभी निवासी हाउसिंग बोर्ड बोदाबाग कालोनी तह0 हुजूर, जिला रीवा म.प्र.

5- श्रीमती रजनी मिश्रा पत्नी डॉ0 अरुण मिश्रा, निवासी निरालानगर तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)-

---- अनावेदकगण

आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 58/अपील/2012-013 में पारित आदेश दिनांक 27/1/2015 के विरुद्ध निगरानी याचिका।
अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक नि. 726-III/15 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.1.16	मैंने प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के ग्राह्यता पर तर्क सुने एवं उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया। निगराकार के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी मेमो में लिखे बिन्दुओं को दोहराया, तथा यह कहा वसीयत का परीक्षण विचारण न्यायालय ने किया था, जिसके बाद ही वहाँ उनके हित में नामांतरण हुआ था, जिसे SDO एवं आयुक्त द्वारा अपील में सही नहीं माना जाना, गलत है। यह कहते हुए उन्होंने आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि 27.1.15 निरस्त करने, और विचारण न्यायालय का आदेश दि 3.5.10 यथावत रखने, या प्रकरण विचारण न्यायालय को वसीयत का पुनः परीक्षण करने हेतु प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया।	
	गैर-निगराकार पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	

[क्र. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

ने तर्क किया कि निगरानीकार द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष केवल मृत वसीयतकर्ता कौशलेश को पक्षकार बनाया गया था; जबकि वसीयतकर्ता के पुत्र-पुत्रियां जीवित थे फिर भी उन्हें पक्षकार नहीं बनाया। इश्तेहार उस जगह प्रकाशित कराया जहाँ वसीयतकर्ता के पुत्र-पुत्रियां नहीं रहते थे, जिससे उन्हें वसीयत के विरुद्ध आपत्ती करने का अवसर नहीं मिला। वसीयत के साक्षियों के कथनों के आधार पर वसीयत का प्रमाणीकरण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनतीम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 रामपुर बाघेलान, जिला पन्ना के व्य.प्र.क. 67A/2014 के आदेश दि. 20.12.14 का हवाला लेते हुए कहा कि इसमें निगरानीकार के दावे को प्रथमदृष्टया नामंजूर कर दिया गया है। साथ ही SDO एवं आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं। इस सब के प्रकाश में उन्होंने निगरानी अग्राह्य करने का निवेदन किया।

6.1.16

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.......................... जिला ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-1-16	निगराकार अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में कहा कि विषयांकित व्यवाद में पारित आदेश अन्तिम आदेश नहीं है। साथ ही उन्होंने वाद भूमि पर अपना कब्जा लम्बे समय से होना बताया और अपने निवेदन को दोहराया, और कहा कि उनका कब्जा था इसलिए उन्होंने वसीयत के आधार पर नामान्तरण का आवेदन लम्बे समय तक नहीं दिया। इसके विपरीत गैरनिगराकारगण का कब्जा नहीं होने के बावजूद लम्बे समय तक वारसाना नामा[illegible] हेतु आवेदन नहीं देना समझ से परे है। प्रकरण में निम्न बिन्दु प्रमुख रूप से विचार योग्य हैं :- (1) विचारण न्यायालय के समक्ष मृत वसीयतकर्ता को पक्षकार बनाया जाना और उसके उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया जाना प्रथमदृष्टया सही नहीं है। इस संबंध में SDO, आयुक्त एवं व्यवहार न्यायालय, तीनों ने समान अभिमुक्ति की है। (2) वसीयतनामे के साक्षियों द्वारा वसीयत प्रमाणित नहीं हुई होने के संबंध में SDO एवं	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त ने अभियुक्ति की है। (3) व्यवहार वाद के आदेश दि 20.12.14 के पैरा 13 में वसीयत के आधार पर घोषणा अभिप्राप्त करने के लिए 3 वर्ष की परिसीमा का उल्लेख कर, वसीयत के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत दावा प्रथमदृष्ट्या परिसीमा अवधि के बाद के होने का लेख किया गया है। (4) व्यवहार वाद के इस आदेश में निगराकार द्वारा पुराने सीलिंग संबंधी बिन्दु को उठाए जाने का लेख कर, यह लिखा गया है कि चूंकि वसीयतकर्ता द्वारा वाद भूमि का क्रय सीलिंग कानून को विफल करने के उद्देश्य से किया गया होना प्रतीत होता है, अतः वसीयतकर्ता को विषयांकित वसीयत करने की अधिकारिता प्रथमदृष्ट्या नहीं थी, जिसके प्रकाश में भी निगराकार का दावा मान्य किया जाने योग्य नहीं होता है।	
6.1.16		

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक..... जिला .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

(5) व्यवहार वाद के संदर्भित आदेश में निगराकार का वाद भूमि पर कब्जा भी प्रकट होना नहीं पाया गया है। ~~ऐसे में~~ निगराकार का यह तर्क कि उसका कब्जा था, इसलिए उसे लम्बे समय तक वसीयत के आधार पर नामान्तरण कराना जरूरी नहीं समझा, भी संदेह के घेरे में आजाता है।

(6) SDO एवं आयुक्त, दोनों ने अपने-अपने आदेशों के अनान्तिम अनुच्छेदों में विस्तृत विवेचना कर बोलते हुए आदेश पारित किए हैं, जिनमें निगराकार द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर विवेचना एवं निराकरण किया गया है।

(7) SDO एवं आयुक्त के निष्कर्ष समवर्ती हैं, जिनकी पुष्टि

6.1.16

[कृ. प. उ.

R. 726/III/15

(सतना)

स्थान तथा दिनांक	निगरानी कार्यवाही तथा आदेश शिवकुमार	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	व्यवहार वाद के संदर्भित आदेश के निष्कर्षों से होती है। उपरोक्त बिन्दुओं एवं विवेचना के प्रकाश में मेरा यह मत है कि आयुक्त रीवा के आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है। यदि माननीय व्यवहार न्यायालय के संबोधित प्रकरण क्र. 67 A/2014 के अंतिम निर्णय, या अन्य किसी व्यवहार वाद के निर्णय के प्रकाश में, किसी पक्षकार को राजस्व न्यायालयों से भविष्य में कोई कार्यवाही करनी हो, तो ऐसा करने के लिए वे समुचित आधार बताते हुए तत्समय आवश्यकतानुसार आवेदन कर सकते हैं। निगरानी अग्राह्य की जाती है। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। 6.1.16 (सदस्य)	